U.T. Administration of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu,
Office of the Collector, Collectorate, Daman.

dadra nagar haveli daman diu

Azadi Ka Amrit Mahotsav

No. 3/112/LND-ACQ/2022-23 / 2774 **Dated:** 17**/11/2023**

NOTICE

Whereas, Preliminary Notification U/s 11 of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act, 2013 was issued vide no. 3/112/LND-ACQ/2022-23/2914 dated 02.08.2023 for acquiring land admeasuring 338.00 Sq.mt, for Construction of Protection Wall with Jampore Ghat for Extension of Jampore Sea Front upto Varliwad School at Jampore, Moti Daman;

And Whereas, Deputy Collector (HQ), Daman is appointed as Administrator for the purpose of Rehabilitation and Resettlement under the said Act vide Notification no. 5/2/COL/LAND/RFCTLARR/2015-16 /2296 dated 04.08.2015;

And Whereas, a NIL draft Scheme for Rehabilitation and Resettlement is prepared as no family under this project is displaced.

And Whereas, the said draft scheme is published along with the Notice as per Rule 7(5) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015;

Now Therefore, all the affected families are hereby requested under Rule 7(6) of the Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition. Rehabilitation and Resettlement (Compensation, Rehabilitation, and Resettlement and Development Plan) Rules, 2015 to remain present **on 11/ 12/2023 at 11:00 AM** in **Conference Hall, Collectorate, Daman** for hearing.

Yours faithfully,

Mohit Mishra
Deputy Collector (HQ),
Daman

Copy to:

1. The Joint Secretary, Planning &Statistics, DNH & DD, Daman for publishing in e-Gazette.
2. The Director (IT), DNH & DD, Daman for uploading it on the official website of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu.
3. The Field Publicity Officer, Daman for publishing it in two daily local Gujarati News Paper widely circulated in affected areas.
4. The Mamlatdar, Daman for wide publicity among affected and displaced families through concern Talathi and placing it on Notice Board.
5. P.A. to the Collector, Daman for placing it on Notice Board.
6. P.A. to the Chief Executive Officer, District Panchayat, Daman for placing it on Notice Board and wide publicity.

Draft Rehabilitation and Resettlement Scheme (ELEMENTS OF REHABILITATION AND RESETTLEMENT ENTITLEMENTS FOR ALL THE AFFECTED FAMILIES)

Land Acquisition case no. 3/112/LND-ACQ/2022-23/2776

1	Name of Project: **Acquisition of land for Construction of Protection Wall with Jampore Ghat for Extension of Jampore Sea Front upto Varliwad School at Jampore, Moti Daman**
2	Name/ Names of person interested in the land and the nature of respective claim for rehabilitation and resettlement: Nil
3	Time limit for provisions of Rehabilitation and Resettlement entitlements given to the affected family: Within 18 months from date of Award u/s 23 of RFCTLARR Act 2013
4	**Rehabilitation and Resettlement entitlements**
	1. Provision of housing units in case of displacement (1) If a house is lost in rural areas, a constructed house shall be provided as per the Indira Awas Yojana specifications. If a house is lost in urban areas, a constructed house shall be provided, which will be not less than 50 sq. mts. in plinth area. (2) The benefits listed above shall be extended to any affected family which is without homestead land and which has been residing in the area and which has been involuntarily displaced from such area: Provided that any such family in urban areas which opts not to take the house offered, shall get a one-time assistance for house construction, which shall not be less than one lakh fifty thousand rupees: Provided further that if any affected family in rural areas so prefers, the entitlement cost of the house may be offered in lieu of the constructed house: Provided also that no family affected by acquisition shall be given more than one house under the provisions of this Act.
	Recommendation- Nil
	2. Land for land In case of Irrigation project, as far as possible and in lieu of compensation to be paid for land acquired, each affected family owning agriculture land in the affected area and whose land has been acquired or lost, or who has, as a consequence of the acquisition or loss of land, been reduced to the status of a marginal farmer or landless, shall be allotted, in the name of each person included in the records or rights with regard to the affected family, a minimum of one acre of land in the command area of the project for which the land is acquired: Provided that in every project those person losing land and belonging to the Scheduled Castes or Scheduled Tribes will be provided land equivalent to land acquired or two and a half-acres, whichever is lower.
	Recommendation- Not Applicable as it is not an irrigation project.

	3. Offer for developed land In case the land is acquired for urbanization purposes, twenty five percent of the developed land will be reserved and offered to land owing project affected families, in proportion to the area of their land acquired and at a price equal to the cost of acquisition and the cost of development. Provided that in case the land owing project affected family wishes to avail this offer, an equivalent amount will be deducted from the land acquisition compensation package payable to it.
	Recommendation- Not Applicable as land is not being acquired for urbanization purpose.
	4. Choice of annuity or Employment The appropriate government shall ensure that the affected families are provided with following option: - (a) Job may be given to at least one member per affected family in the project or arrange for a job in such other project as may be required and providing suitable training and skill development in the required field or make provision for employment at a rate not lower than the minimum wages provided for in any other law for the time being enforced. or (b) One time grant of 5 lakh rupees per affected family. Or (c) The affected family will be provided with an annuity payment of Rupees 2000 per month per family for twenty years (this will be adjusted for inflation annually).
	Recommendation- Nil
	5. Subsistence grant for displaced families for a period of one year Each affected family which is displaced from the land acquired shall be given a monthly subsistence allowance equivalent to three thousand rupees per month for a period of one year from the date of award. In addition to this amount, the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes displaced from Scheduled Areas shall receive an amount to fifty thousand rupees. In cases of displacement from the Scheduled Areas, as far as possible, the affected families shall be relocated in a similar ecological zone, so as to preserve the economic opportunities, language, culture and community life of the tribal communities.
	Recommendation- Nil
	6. Transportation cost for displaced families Each affected family which is displaced shall get one-time financial assistance of fifty thousand rupees as transportation cost for shifting of the family, building materials, belongings and cattle.
	Recommendation- Nil
	7. Cattle shed/ petty shops cost Each affected family having cattle or having a petty shop shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification, specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees for construction of cattle shed or petty shop as the case may be.
	Recommendation- Nil

	8. One-time grant to artisan, small traders and certain others Each affected family of an artisan, small trader or self-employed person or an affected family which owned non-agricultural land or commercial, industrial or institutional structure in the affected area due to land acquisition, shall get one-time financial assistance of such amount as the appropriate Government may, by notification specify subject to a minimum of twenty-five thousand rupees.
	Recommendation- Nil
	9. Fishing Rights In cases of Irrigation or hydel projects, the affected families may be allowed fishing rights in the reservoirs, in such manner as may be prescribed by the appropriate government.
	Recommendation- Not Applicable as it is not an irrigation or hydel project.
	10. One-time Resettlement Allowance Each Affected family shall be given one time "Resettlement Allowance" of fifty thousand rupees only.
	Recommendation- Nil
	11. Stamp duty and registration fee (1) The stamp duty and other fees payable for registration of the land or house allotted to the affected families shall be borne by the Requiring Body. (2) The land for house allotted for the affected families shall be free from all encumbrances. (3) The land or house allotted may be in the joint names of wife and husband of the affected families.
	Recommendation- Nil

No.3/112/LND-ACQ/2022-23/ 2776
Date: 17/ 11 /2023

(Mohit Mishra)
Administrator for Rehabilitation
and Resettlement,
Daman

Copy to:

1. The Joint Secretary, Planning &Statistics, DNH & DD, Daman for publishing in e-Gazette.
2. The Director (IT), DNH & DD, Daman for uploading it on the official website of Dadra and Nagar Haveli and Daman & Diu.
3. The Field Publicity Officer, Daman for publishing it in two daily local Gujarati News Paper widely circulated in affected areas.
4. The Mamlatdar, Daman for wide publicity among affected and displaced families through concern Talathi and placing it on Notice Board.
5. P.A. to the Collector, Daman for placing it on Notice Board.
6. P.A. to the Chief Executive Officer, District Panchayat, Daman for placing it on Notice Board and wide publicity.
7. P.A. to Deputy Collector (HQ), Daman for placing it on Notice Board.

संघ प्रदेश दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव प्रशासन,
U.T. Administration of
Dadra & Nagar Haveli and Daman & Diu,
समाहर्ता का कार्यालय, समाहर्तालय, दमण.
Office of the Collector, Collectorate, Daman.

सं. 3/112/LND-ACQ/2020-21/2774 **दिनांक:- 17/11/2023**

सूचना /N O T I C E

जबकि, जंपोर, मोटी दमण में जंपोर सी फ्रंट का वर्लीवाड स्कूल तक के विस्तार एवं जंपोर घाट के साथ सुरक्षा दीवार के निर्माण हेतु 338.00 वर्ग मीटर भूमि के अधिग्रहण के लिए भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 की धारा 11 के तहत प्रारंभिक अधिसूचना संख्या 3/112/एलएनडी-एसीक्यू/2020-21/2914, दिनांक 02/08/2023 जारी की गई थी;

और जबकि, उप समाहर्ता (मुख्यालय), दमण को उक्त अधिनियम के तहत दिनांक 04/08/2015 के अधिसूचना सं. 5/2/COL/LAND/RFCTLARR/2015-16 /2296 के अनिुसार पुनर्वास और पुनर्स्थापन के प्रयोजन हेतु प्रशासक के रूप में नियुक्त किया गया है;

और जबकि, पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक शून्य मसौदा योजना तैयार की गई है क्योंकि इस परियोजना के तहत कोई भी परिवार विस्थापित नहीं हुआ है;

और जबकि, भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (मुआवजा, पुनर्वास, पुनस्थार्पन और विकास योजना) नियम, 2015 में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार के नियम 7(5) के अनुसार उक्त मसौदा स्कीम नोटिस सहित प्रकाशित की गई है;

अब इसलिए, भूमि अधिग्रहण में उचित मुआवजे और पारदर्शिता, पुनर्वास और पुनर्स्थापन (मुआवजा, पुनर्वास, पुनर्स्थापन और विकास योजना) नियम, 2015 के नियम 7(6) के तहत सभी प्रभावित परिवारों से अनुरोध किया जाता है कि वे सुनवाई के लिए सम्मेलन हॉल, समाहर्तालय, दमण में दिनांक 11/12/2023 को 11:00 बजे (**पूर्वाह्न / अपराह्न)** उपस्थित रहें।

भवदीय,

मोहित मिश्रा
उप समाहर्ता (मुख्यालय),
दमण.

प्रतिलिपि प्रेषित :-

1. संयुक्त सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी, दानह तथा डीडी, दमण को ई-राजपत्र में प्रकाशन हेतु
2. निदेशक (आईटी), दानह तथा डीडी,दमण को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,, दमण को प्रभावित परिवारों के क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो दैनिक स्थानीय गुजराती समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करने के लिए
4. मामलतदार, दमण को संबंधित तलाटी के माध्यम से प्रभावित और विस्थापित परिवारों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसे नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए।
5. समाहर्ता, दमण के निजी सहायक को सूचना बोर्ड पर लगाने हेतु
6. मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, दमण के निजी सहायक को नोटिस बोर्ड पर लगाने एवं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु

पुनर्वास और पुनर्स्थापन योजना का मसौदा (सभी प्रभावित परिवारों के लिए पुनर्वास और पुनर्स्थापन हेतु पात्रता कारक)

भूमि अधिग्रहण केस सं. 3/112/एलएनडी-एसीक्यू/2022-23/2776

1	**परियोजना का नाम: जंपोर, मोटी दमण में जंपोर सी फ्रंट का वर्लीवाड स्कूल तक विस्तार एवं जंपोर घाट के साथ सुरक्षा दीवार के निर्माण के लिए भूमि का अधिग्रहण**
2	भूमि में हित रखने वाले व्यक्ति का नामऔर पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन के लिए संबंधित दावे की प्रकृति :- शून्य
3	प्रभावित परिवार को दिए गए पुनर्वास और पुनर्वास अधिकारों के प्रावधानों के लिए समय सीमा: RFCTLARR अधिनियम 2013 की धारा 23 के तहत अवार्ड की तारीख से 18 महीने के भीतर
4	**पुनर्वास और पुनर्स्थापन अधिकार पात्रता**
	1. विस्थापन की स्थिति में आवास इकाइयों का प्रावधान (1) यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई घर खो (Lost) जाता है, तो इंदिरा आवास योजना के विनिर्देशों के अनुसार एक निर्मित घर प्रदान किया जाएगा। शहरी क्षेत्र में मकान के खोने (Loss) पर निर्मित मकान उपलब्ध कराया जायेगा, जो प्लिंथ क्षेत्र में 50 वर्ग मीटर से कम नहीं होगा। (2) ऊपर सूचीबद्ध लाभ किसी भी प्रभावित परिवार को दिए जाएंगे जिनके पास रहने के लिए भूमि नहीं है और जो इस क्षेत्र में रह रहे हैं तथा जो ऐसे क्षेत्र से अनैच्छिक रूप से विस्थापित हो गए हैं: बशर्ते कि शहरी क्षेत्रों में कोई भी ऐसा परिवार जो प्रस्तावित मकान नहीं लेने का विकल्प चुनता है, उसे मकान निर्माण के लिए एकमुश्त सहायता मिलेगी, जो एक लाख पचास हजार रुपये से कम नहीं होगी: बशर्ते कि यदि ग्रामीण क्षेत्रों में कोई प्रभावित परिवार ऐसा चाहता है, तो निर्मित घर के बदले में घर की पात्रता लागत की पेशकश की जा सकती है: परंतु यह भी कि अधिग्रहण से प्रभावित किसी भी परिवार को इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत एक से अधिक घर नहीं दिया जाएगा।
	सिफारिश- शून्य
	2. जमीन के बदले जमीन सिंचाई परियोजना के मामले में, जहां तक संभव हो अधिग्रहीत भूमि के लिए मुआवजे का भुगतान किया जाना चाहिए और प्रत्येक प्रभावित परिवार के पास प्रभावित क्षेत्र में कृषि भूमि है एवं जिनकी भूमि अधिग्रहीत या खो गई है एवं भूमि का अधिग्रहण या खोने की परिणामस्वरूप जो सीमांत किसान की श्रेणी से हट गए हैं या भूमिहीन की स्थिति में आ गए हैं उन प्रभावित परिवार के संबंध में रिकॉर्ड या अधिकारों में शामिल प्रत्येक व्यक्ति के नाम पर, परियोजना का कमांड क्षेत्र जिसके लिए भूमि अधिग्रहित की गई है, न्यूनतम एक एकड़ भूमि आवंटित की जाएगी। बशर्ते कि प्रत्येक परियोजना में भूमि खोने (Loss) वाले और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति से संबंधित व्यक्तियों को अर्जित भूमि के बराबर या ढाई एकड़, जो भी कम हो, भूमि प्रदान की जाएगी।
	सिफारिश- लागू नहीं है, क्योंकि यह सिंचाई परियोजना नहीं है।
	3. विकसित भूमि हेतु प्रस्ताव यदि भूमि शहरीकरण उद्देश्यों के लिए अधिग्रहित की जाती है, तो विकसित भूमि का पच्चीस प्रतिशत आरक्षित किया जाएगा और परियोजना प्रभावित परिवारों को उनकी अर्जित भूमि के क्षेत्रफल के अनुपात में तथा अधिग्रहण एवं विकास की लागत के बराबर कीमत पर भूमि प्रदान की जाएगी। बशर्ते कि यदि भूमि बकाया परियोजना से प्रभावित परिवार इस प्रस्ताव का लाभ उठाना चाहता है, तो उसे देय भूमि अधिग्रहण मुआवजा पैकेज से एक समतुल्य राशि काट ली जाएगी।

सिफारिश-

लागू नहीं है क्योंकि शहरीकरण के उद्देश्य से भूमि का अधिग्रहण नहीं किया जा रहा है।

4. वार्षिकी या रोजगार का विकल्प

उपयुक्त सरकार यह सुनिश्चित करेगी कि प्रभावित परिवारों को निम्नलिखित विकल्प प्रदान किए जाएं: -

(ए) परियोजना में प्रति प्रभावित परिवार के कम से कम एक सदस्य को नौकरी दी जा सकती है या आवश्यकतानुसार किसी अन्य परियोजना में नौकरी की व्यवस्था की जा सकती है और आवश्यक क्षेत्र में उपयुक्त प्रशिक्षण और कौशल विकास प्रदान किया जा सकता है या उस समय लागू होने वाले किसी भी अन्य कानून में प्रदान की गई न्यूनतम मजदूरी से कम नहीं की दर पर रोजगार का प्रावधान किया जा सकता है। या

(बी) प्रति प्रभावित परिवार को 5 लाख रुपये का एकमुश्त अनुदान। या

(सी) प्रभावित परिवार को बीस वर्षों तक प्रति परिवार प्रति माह 2000 रुपये का वार्षिक भुगतान प्रदान किया जाएगा (इसे सालाना मुद्रास्फीति के हिसाब से समायोजित किया जाएगा)।

सिफारिश - शून्य

5. विस्थापित परिवारों को एक वर्ष की अवधि के लिए जीवन निर्वाह अनुदान

अधिग्रहीत भूमि से विस्थापित प्रत्येक प्रभावित परिवार को अवार्ड की तिथि से एक वर्ष की अवधि के लिए प्रति माह तीन हजार रुपये के बराबर मासिक निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

इस राशि के अलावा, अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापित अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति को पचास हजार रुपये की राशि मिलेगी।

अनुसूचित क्षेत्रों से विस्थापन के मामलों में, जहां तक संभव हो, प्रभावित परिवारों को विस्थापित पारिस्थितिक क्षेत्र के समान पारिस्थितिकी क्षेत्र में ही स्थानांतरित किया जाएगा, ताकि जनजातीय समुदायों के आर्थिक अवसरों, भाषा, संस्कृति और सामुदायिक जीवन को संरक्षित किया जा सके।

सिफारिश - शून्य

6. विस्थापित परिवारों के लिए परिवहन लागत

विस्थापित प्रत्येक प्रभावित परिवार को परिवार, बिल्डिंग सामग्री, सामान और मवेशियों को स्थानांतरित करने के लिए परिवहन लागत के रूप में पचास हजार रुपये की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी।

सिफारिश - शून्य

7. मवेशी शेड/छोटी दुकानों की लागत

मवेशी रखने वाले या छोटी-मोटी दुकान रखने वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार को ऐसी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी जो उपयुक्त सरकार, अधिसूचना द्वारा मवेशी शेड या छोटी दुकान के निर्माण हेतु जैसा मामला हो, के लिए न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये निर्दिष्ट कर सकती है।

सिफारिश - शून्य

	8. कारीगरों, छोटे व्यापारियों और कुछ अन्य लोगों को एकमुश्त अनुदान कारीगर, छोटे व्यापारी या स्व-रोज़गार वाले प्रत्येक प्रभावित परिवार या भूमि अधिग्रहण के कारण प्रभावित क्षेत्र में गैर-कृषि भूमि या वाणिज्यिक, औद्योगिक या संस्थागत संरचना का स्वामित्व रखने वाले प्रभावित परिवार को उतनी राशि की एकमुश्त वित्तीय सहायता मिलेगी, जैसा कि उपयुक्त सरकार अधिसूचना के द्वारा निर्दिष्ट कर सकती है, न्यूनतम पच्चीस हजार रुपये ।
	सिफारिश - शून्य
	9. फिशिंग अधिकार सिंचाई या जल विद्युत परियोजनाओं के मामलों में, प्रभावित परिवारों को उचित सरकार द्वारा निर्धारित तरीके से जलाशयों में मछली पकड़ने का अधिकार दिया जा सकता है।
	सिफारिश- लागू नहीं है क्योंकि यह सिंचाई या जल विद्युत परियोजना नहीं है।
	10. एकमुश्त पुनर्वास भत्ता प्रत्येक प्रभावित परिवार को केवल पचास हजार रुपये का एकमुश्त **"पुनर्वास भत्ता"** दिया जाएगा।
	सिफारिश - शून्य
	11. स्टाम्प शुल्क और पंजीकरण शुल्क (1) प्रभावित परिवारों को आवंटित भूमि या घर के पंजीकरण के लिए देय स्टांप शुल्क और अन्य शुल्क अपेक्षित निकाय द्वारा वहन किया जाएगा। (2) प्रभावित परिवारों को आवास हेतु आवंटित भूमि समस्त बंधनों से मुक्त होगी। (3) आवंटित भूमि या मकान प्रभावित परिवारों की पत्नी और पति के संयुक्त नाम पर हो सकता है।
	सिफारिश - शून्य

सं. 3/112/LND-ACQ/2022-23/2776
दिनांक :- 17/11/2023

(मोहित मिश्रा)
पुनर्वास एवं पुनर्स्थापन हेतु प्रशासक
दमण.

प्रतिलिपि प्रेषित:

1. संयुक्त सचिव, आयोजना एवं सांख्यिकी, दानह तथा डीडी,, दमण को ई-राजपत्र में प्रकाशन हेतु
2. निदेशक (आईटी), दानह तथा डीडी,दमण को दादरा एवं नगर हवेली तथा दमण एवं दीव के अधिकारिक वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु
3. क्षेत्रीय प्रचार अधिकारी,, दमण को प्रभावित परिवारों के क्षेत्रों में व्यापक रूप से प्रसारित होने वाले दो दैनिक स्थानीय गुजराती समाचार पत्रों में इसे प्रकाशित करने के लिए
4. मामलतदार, दमण को संबंधित तलाटी के माध्यम से प्रभावित और विस्थापित परिवारों के बीच व्यापक प्रचार-प्रसार करने और इसे नोटिस बोर्ड पर लगाने के लिए।
5. समाहर्ता, दमण के निजी सहायक को सूचना बोर्ड पर लगाने हेतु
6. मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, दमण के निजी सहायक को नोटिस बोर्ड पर लगाने एवं अधिक से अधिक प्रचार प्रसार हेतु
7. उप समाहर्ता के निजी सहायक को नोटिस बोर्ड पर लगाने हेतु